राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः एफ 4(220)प्रा0शि0 / एमडीएम / दिशा–निर्देश / 2019 / 560 जयपुर दिनांकः 08.08.2019

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय–प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त

विषयः– मिड डे मील योजनान्तर्गत निर्देशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील कार्यक्रम भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके द्वारा विद्यालयों में छात्रों के नामंकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना मुख्य है। मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम तथा राष्ट्र की भावी पीढी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। किन्तु जिलों द्वारा इस कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है। निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें एवं मुख्यालय द्वारा चाही गई सूचनाऐं समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1. **खाद्यान्न का उठाव :–** प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा खाद्यान्न का आवंटन करने के उपरान्त भी जिले द्वारा खाद्यान्न का समय पर एवं पूर्ण उठाव नहीं किया जाता है जिसके कारण विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी आ जाती है एवं योजना के क्रियान्वयन में रूकावट पैदा होती है। विभाग द्वारा प्रत्येक त्रैमास पर आवंटन का जिले द्वारा समय पर एवं पूर्ण उठाव करवाने की व्यवस्था करावें। विद्यालयों में खाद्यान्न की कमी से किसी भी हालत में छात्र पोषाहार से वंचित न रहे एवं खाद्यान्न की विद्यालयों में पर्याप्त खाद्यान्न की सुनिश्चितता करावें।
2. **कुकिंग कन्वर्जन मद :–** विभाग द्वारा कुकिंग कन्वर्जन मद में राशि तीन माह की अग्रिम जिलों में आवंटन की जाती है। लेकिन जिले में विद्यालयों को तत्काल राशि हस्तान्तरित नहीं करने के कारण योजना के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।। जिले में कुकिंग कन्वर्जन मद की राशि तीन माह पूर्व ही विद्यालयों के खातों में हस्तान्तरित कर दी जावे।
3. **कुक कम हैल्परः–** कुक कम हैल्पर का समय पर भुगतान हो तथा इनका निर्धारित मानदेय का भुगतान इनके बैंक खातों में किया जावे।
4. **निरीक्षणः–** मिड डे मील योजनान्तर्गत मापदण्डानुसार जिले के विद्यालयों का निरीक्षण किया जावे तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निराकरण तत्काल करवाया जावे एवं मासिक निरीक्षण की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह भिजवाई जावे।
5. **फूड टेस्टिंगः–** राजकीय विद्यालयों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मध्यान्ह भोजन एवं अन्नपूर्णा दूध योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे दूध की गुणवत्ता की जॉच समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग व अन्य प्रयोगशालाओं यथा NABL के माध्यम से करवाई जावे एवं लेबोरेट्री की जॉच रिपोर्ट विभाग को भिजवाई जावे।
6. **ए..एम.एस सिस्टम :–** विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि विद्यालयों द्वारा प्रति दिवस मिड डे मील योजना से लाभान्वितों की सूचना एस.एम.एस.द्वारा दी जावे, लेकिन देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा नियमित रूप से एसएमएस नहीं किया जाता जिससे मिड डे मील योजना के संचालन की सूचना समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः यह सुनिश्चित करें सभी विद्यालय जिनमें मिड डे मील कार्यक्रम संचालित है, के द्वारा प्रत्येक दिवस को एसएमस के माध्यम से सूचना दी जावे।

7. **MIS** :–विभागीय पोर्टल trgmdm.nic.in पर मासिक एवं वार्षिक डाटा फीडिंग की सूचना की समीक्षा की गई, जिलों द्वारा पोर्टल पर फीडिंग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर मासिक एवं वार्षिक डाटा फीडिंग शत–प्रतिशत की जावे।
8. **रसोईघर निर्माण** :– विभाग द्वारा बार–बार निर्देश दिये गये है कि जिले में संचालित समस्त राजकीय विद्यालय जिनमें मिड–डे–मील कार्यक्रम संचालित है, इन विद्यालयों में रसोईघर का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करें। लेकिन जिलों से न तो समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होती है और जिन जिलों से सूचना प्राप्त हो रही है उनकी प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में रसोईघर निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा राशि भारत सरकार को लौटाये जाने की स्थिति में योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस सम्बन्ध में विभाग के पत्र संख्या 481 दिनांक 26.07.2019 का अवलोकन करें जिसके माध्यम से विद्यालयों में निर्मित , निर्माणाधीन एवं जिन विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है इत्यादि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना शीघ्र विभाग को भिजवायें ताकि भारत सरकार को वास्तविक एवं सत्यापित सूचना समय पर भिजवाई जा सके।
9. **एमपीआरः**– मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR) के माध्यम से योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का आकलन किया जाकर राज्य सरकार एवं भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसके आधार पर ही राज्य को बजट एवं खाद्यान्न प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान में आया है कि अनेक जिलों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR) काफी समय से नहीं भिजवा रहे है जो काफी चिन्ताजनक है। अतः माह जुलाई 2019 तक की एमपीआर शीघ्र तैयार कर भिजवायें। भविष्य में भी प्रतिमाह निर्धारित तिथि तक MPR मुख्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
10. **एफ.सी.आई. भुगतानः**– जिलों में एफ.सी.आई .भुगतान की स्थिति से अवगत करावें यदि भुगतान लम्बित है तो तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. **जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समितिः**– मिड डे मील के सफल एवं सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की आयोजित मासिक बैठक का कार्यवाही विवरण प्रत्येक माह मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. **शिकायतः**– विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल, में मिड–डे –मील से सम्बन्धित कोई समाचार प्रकाशित हो तो तत्काल इसकी जॉच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट विभाग को भिजवायें। इसके अतिरिक्त विभाग के माध्यम से आपको प्रेषित शिकायतों का निस्तारण भी अविलम्ब निस्तारण कर जॉच रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निकट भविष्य में मिड डे मील योजना की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है। अतः निर्देशों की जिले में पालना सुनिश्चित करावें एवं मिड डे मील योजना से सम्बन्धित लम्बित सूचना शीघ्र विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(हेम प्रभा)
अति.आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

क्रमांकः एफ 4(220)प्रा0शि0 / एमडीएम / दिशा–निर्देश / 2019 / 561-64 जयपुर दिनांकः 08.08.2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला कलक्टर।
2. समस्त अनुभाग प्रभारी ।
3. प्रभारी आईटी सैल / सूचना सहायक ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(आशिष व्यास)
उपायुक्त (क्रि.एवं मू.)